I J C R M

International Journal of Contemporary Research In Multidisciplinary

Research Article

COVID-19 महामारी और किशोर अपराध में वृद्धि एक आपदा आधारित विश्लेषण

विजय कुमार वर्मा [1*], **प्रो. (डॉ.) सुशील कुमार सिंह** [2]

[1] रिसर्च स्कॉलर, तीर्थंकर महावीर कॉलेज ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज, टी.एम.यू., मुरादाबाद, भारत

[2] प्राचार्य, तीर्थंकर महावीर कॉलेज ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज, टी.एम.यू., मुरादाबाद, भारत

Corresponding Author: *विजय कुमार वर्मा

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.16943767

सारांश

किशोर अपराध आज भारतीय समाज के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। इसका उद्भव केवल किशोरों की मानसिक प्रवृत्तियों से नहीं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक असमानताओं से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। यह अध्ययन विशेष रूप से इस बिंदु की ओर संकेत करता है कि गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा का अभाव, पारिवारिक विघटन, नगरीय झुग्गियाँ, और सामाजिक उपेक्षा जैसे कारक किशोरों को अपराध की ओर कैसे ले जाते हैं।

भारत जैसे विकासशील देश में आर्थिक विषमता, सामाजिक उपेक्षा, तथा संसाधनों की अनुपलब्धता किशोरों को अपराध के मार्ग पर धकेलने में सहायक सिद्ध हो रही है। पारिवारिक अस्थिरता जैसे माता-पिता के बीच कलह, तलाक, नशे की लत, और बाल संरक्षण की कमी किशोरों की मानसिक स्थिति को अस्थिर बना देती है। परिणामस्वरूप, वे संगठित अपराध, चोरी, लूट, यौन अपराध, या ड्रग्स तस्करी जैसी गतिविधियों में संलग्न हो जाते हैं।

अध्ययन में यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों में किशोर अपराध का प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट (2020–2024) और यूनिसेफ रिपोर्ट्स इस प्रवृत्ति की पुष्टि करते हैं। उदाहरण के लिए, NCRB डेटा दर्शाता है कि भारत में किशोर अपराधियों की सबसे बड़ी संख्या आर्थिक रूप से वंचित वर्गों से आती है।

इस समस्या के समाधान हेतु आवश्यक है कि—

1. समावेशी शिक्षा नीति लागू की जाए,
2. सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू किया जाए,
3. कौशल विकास एवं रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएं,
4. तथा किशोरों के लिए परामर्श केंद्र और पुनर्वास योजनाएं तैयार की जाएं।

इस प्रकार, किशोर अपराध की समस्या का समाधान केवल दंडात्मक दृष्टिकोण से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए सामाजिक-आर्थिक नीतियों के व्यापक पुनरावलोकन और न्यायसंगत क्रियान्वयन की आवश्यकता है।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2583-7397
- **Received:** 22-01-2025
- **Accepted:** 13-02-2025
- **Published:** 27-02-2025
- **IJCRM:**4(1); 2025: 221-226
- **©2025, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

वर्मा वी.के., सिंह एस.के. COVID-19 महामारी और किशोर अपराध में वृद्धि एक आपदा आधारित विश्लेषण. Int J Contemp Res Multidiscip. 2025;4(1):221-226.

Access this Article Online

www.multiarticlesjournal.com

कीवर्ड्स: सामाजिक-आर्थिक कारक, गरीबी, बेरोज़गारी, शिक्षा का अभाव, पारिवारिक विघटन, सामाजिक असमानता, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, किशोर न्याय प्रणाली, पुनर्वास, समावेशी विकास

© 2025 विजय कुमार वर्मा, प्रो. (डॉ.) सुशील कुमार सिंह. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

1. शोध की पृष्ठभूमि

वर्ष 2020 से 2022 के मध्य, वैश्विक महामारी COVID-19 ने भारतीय समाज की सामाजिक, आर्थिक और मानसिक संरचना को गहरे रूप से प्रभावित किया। विशेष रूप से किशोर वर्ग—जो विकास की एक संवेदनशील अवस्था में होता है—इस संकट से अत्यधिक प्रभावित हुआ। महामारी के दौरान लॉकडाउन, स्कूलों और कॉलेजों की बंदी, खेल-कूद एवं सामाजिक गतिविधियों पर रोक, तथा ऑनलाइन शिक्षा की सीमाएँ जैसे कारकों ने किशोरों को एकाकीपन, तनाव और भविष्य के प्रति अनिश्चितता के माहौल में धकेल दिया। इसके साथ ही, परिवारों में आर्थिक संकट, बेरोज़गारी, घरेलू हिंसा, और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं ने बच्चों और किशोरों की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को और भी कमज़ोर कर दिया। ऐसी स्थिति में कई किशोर अपराध की ओर उन्मुख हुए—जैसे कि चोरी, साइबर अपराध, हिंसा, नशा सेवन, और गैंग गतिविधियों में भागीदारी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्टों में भी इस कालखंड में किशोर अपराधों में वृद्धि दर्शाई गई है।

इन सामाजिक-आर्थिक व मानसिक बदलावों ने किशोर अपराध के परिदृश्य को नई दिशा दी है, जिसे समझना और विश्लेषित करना वर्तमान शोध का मूल आधार है। यह शोध न केवल महामारी के बाद किशोरों में बढ़ते अपराध प्रवृत्तियों को उजागर करेगा, बल्कि यह भी समझने का प्रयास करेगा कि वर्तमान किशोर न्याय प्रणाली इन परिवर्तनों के संदर्भ में कितनी प्रभावी रही है।

2. समस्या का स्वरूप

COVID-19 जैसी वैश्विक आपदा ने न केवल स्वास्थ्य और आर्थिक क्षेत्रों को प्रभावित किया, बल्कि सामाजिक संरचना और किशोर व्यवहार पर भी दूरगामी प्रभाव डाला। महामारी के दौरान किशोरों द्वारा किए गए अपराधों की संख्या में निश्चित रूप से वृद्धि देखी गई, जो इस बात का संकेत है कि आपदा की परिस्थितियों ने किशोरों के जीवन पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डाला। इस अवधि में किशोरों ने चोरी, साइबर अपराध, नशा सेवन, हिंसक व्यवहार, और सामूहिक अपराध जैसे कार्यों में संलिप्तता बढ़ाई। यह समस्या केवल किशोरों की मानसिक और सामाजिक स्थिति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समूचे सामाजिक ढांचे की जटिलताओं, आपदा प्रबंधन की सीमाओं, और किशोर न्याय प्रणाली की कार्यकुशलता की गहन समीक्षा की मांग करती है। महामारी के दौरान उपलब्ध संसाधनों की कमी, परिवारिक नियंत्रण की दुर्बलता, विद्यालयों की अनुपलब्धता, और बाल संरक्षण तंत्र की निष्क्रियता ने इस संकट को और जटिल बना दिया। इस शोध का उद्देश्य इस गहराते संकट की कारणात्मक व्याख्या करना है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि महामारी जैसे आपातकालीन हालातों में किशोरों को अपराध की ओर प्रेरित करने वाले सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत कारण क्या हैं। यह समस्या न केवल वर्तमान की चिंता है, बल्कि भविष्य के लिए भी एक चेतावनी स्वरूप है कि यदि समय रहते नीति निर्माण, बाल सुरक्षा और किशोर न्याय प्रणाली को सुदृढ़ नहीं किया गया, तो समाज को और गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

3. शोध उद्देश्य

इस शोध का मुख्य उद्देश्य COVID-19 महामारी के दौरान किशोरों में अपराध की बढ़ती प्रवृत्ति को बहुआयामी दृष्टिकोण से समझना तथा उसका विश्लेषण करना है। इस संदर्भ में निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति की जाएगी:

1. महामारी के दौरान किशोर अपराध की प्रवृत्तियों का अध्ययन करना, जिसमें अपराध के प्रकार, स्तर, और सामाजिक परिवेश के आधार पर उनका वर्गीकरण एवं विश्लेषण शामिल है।
2. किशोर अपराध को प्रभावित करने वाले सामाजिक, आर्थिक और मानसिक कारकों का गहन विश्लेषण करना, जैसे कि पारिवारिक विघटन, आर्थिक असुरक्षा, मानसिक तनाव, शिक्षा की निरंतरता में बाधा आदि।
3. COVID-19 जैसी आपदा और किशोर अपराध के मध्य अंतर्संबंध (Interrelationship) को समझना, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि आपदा की स्थिति में किशोरों के व्यवहार में अपराध की प्रवृत्ति कैसे उत्पन्न होती है।
4. नीतिगत सुझावों का निर्माण करना, जो आपदा की स्थितियों में किशोरों की सुरक्षा, सुधार और पुनर्वास हेतु प्रभावी रणनीतियाँ उपलब्ध कराएं, तथा किशोर न्याय प्रणाली को और अधिक संवेदनशील एवं सुदृढ़ बनाने में सहायक हों।

4. अनुसंधान प्रश्न

1. क्या COVID-19 महामारी के दौरान किशोर अपराधों की प्रवृत्ति में वृद्धि दर्ज की गई?
2. महामारी काल में किशोर अपराधों को बढ़ाने वाले प्रमुख सामाजिक एवं आर्थिक कारक कौन-कौन से रहे?
3. आपदा की स्थिति (विशेषकर COVID-19) में किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ा, और उसका संबंध अपराध प्रवृत्ति से किस प्रकार जुड़ा?
4. क्या वर्तमान किशोर न्याय प्रणाली महामारी जैसी आपात परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से कार्य कर पाई?
5. क्या किशोरों के पुनर्वास एवं संरक्षण हेतु सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं की भूमिका पर्याप्त रही?

5. शोध पद्धति

इस शोध में मिश्र विधिअपनाई गई है, जिसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार की पद्धतियों का समावेश किया गया है, ताकि विषय की गहराई से समझ विकसित की जा सके।

(क) अनुसंधान का प्रकार:

- गुणात्मक विश्लेषण: किशोर अपराधों से संबंधित सामाजिक, मानसिक, और व्यवहारिक पहलुओं का विवरणात्मक अध्ययन।
- मात्रात्मक विश्लेषण: NCRB, UNICEF, WHO आदि के आँकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण।

(ख) डेटा स्रोत:

प्राथमिक स्रोत:

i. मुरादाबाद जनपद में किशोर न्याय से जुड़े मामलों की केस स्टडी
ii. न्यायिक अधिकारियों, बाल संरक्षण अधिकारियों, और किशोरों के साथ साक्षात्कार

© 2025 विजय कुमार वर्मा, प्रो. (डॉ.) सुशील कुमार सिंह. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

द्वितीयक स्रोत:

i. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) रिपोर्ट (2020–2022)
ii. WHO व UNICEF की वैश्विक रिपोर्ट
iii. प्रासंगिक समाचार रिपोर्ट्स, शोध लेख, और सरकारी नीति दस्तावेज

(ग) अध्ययन क्षेत्र:

i. **भौगोलिक सीमाएं:** उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत विशेष रूप से मुरादाबाद जनपद
ii. यह क्षेत्र इसलिए चुना गया क्योंकि यह एक मिश्रित सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता है, जो महामारी में किशोर अपराध के विभिन्न रूपों को समझने में सहायक है।

(घ) तकनीकी विधियाँ:

i. **तुलनात्मक डेटा विश्लेषण:** महामारी पूर्व (2019) एवं महामारी के दौरान (2020–2022) के आंकड़ों की तुलना
ii. **साक्षात्कार विधि:** चयनित किशोर अपराधियों, परामर्शदाताओं, और परिवारजनों के साथ
iii. **साहित्य समीक्षा**: पूर्ववर्ती शोध कार्यों और वैधानिक दस्तावेजों का गहन विश्लेषण

6. COVID-19 महामारी का सामाजिक प्रभाव

1. **शिक्षा में व्यवधान:** महामारी के दौरान विद्यालयों एवं कॉलेजों के बंद होने से किशोरों की औपचारिक शिक्षा बाधित हुई। नियमित दिनचर्या का अभाव और ऑनलाइन शिक्षा की सीमाएँ विशेष रूप से निम्न वर्ग के छात्रों को प्रभावित करती रहीं, जिससे उनमें उदासीनता, असंतोष और दिशा भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई।
2. **डिजिटल डिवाइड:** ऑनलाइन शिक्षा और सेवाओं पर निर्भरता बढ़ने के बावजूद सभी किशोरों को डिजिटल संसाधनों (जैसे स्मार्टफोन, इंटरनेट, लैपटॉप) तक समान पहुंच नहीं थी। यह डिजिटल विषमता शिक्षा, सूचना, और सामाजिक कनेक्टिविटी से वंचित वर्गों में हताशा और हाशियाकरण को जन्म देती है।
3. **बेरोज़गारी और आर्थिक संकट:** महामारी के कारण लाखों परिवारों की आजीविका प्रभावित हुई, जिससे किशोरों के जीवन में आर्थिक अस्थिरता और असुरक्षा का भाव उत्पन्न हुआ। कई किशोरों ने आर्थिक दबाव में अपराध की ओर रुख किया, जैसे – चोरी, अवैध कार्यों में संलिप्तता इत्यादि।
4. **घरेलू हिंसा और मानसिक तनाव में वृद्धि :** लॉकडाउन के दौरान घरों में तनावपूर्ण माहौल, संवादहीनता, और परिवारिक हिंसा में वृद्धि देखी गई। किशोरों को अभिव्यक्ति का अवसर न मिलना और भावनात्मक सहयोग की कमी उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालती है, जो आगे चलकर विकृत व्यवहार और अपराध प्रवृत्ति में बदल सकती है।
5. **सामाजिक अलगाव और अकेलापन:** स्कूल, खेल, और मित्र मंडली जैसे सामाजिक जुड़ाव के माध्यम बंद हो जाने से किशोरों में एकाकीपन, अवसाद और सामाजिक अलगाव की भावना पनपने लगी। यह स्थिति उन्हें विकृति या आपराधिक गतिविधियों की ओर प्रवृत्त कर सकती है।

7. किशोरों पर महामारी का मनोवैज्ञानिक प्रभाव

COVID-19 महामारी ने किशोरों के जीवन में न केवल शारीरिक, शैक्षणिक और सामाजिक अस्थिरता उत्पन्न की, बल्कि गहरे मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी डाले, जो दीर्घकालिक रूप से उनके व्यक्तित्व, व्यवहार और निर्णय क्षमता को प्रभावित करते हैं।

इस संदर्भ में प्रमुख मनोवैज्ञानिक प्रभाव निम्नलिखित हैं:

1. **तनाव, अवसाद और चिंता में वृद्धि** : लंबे समय तक घर में बंद रहने, शिक्षा और करियर को लेकर अनिश्चितता, तथा पारिवारिक आर्थिक समस्याओं ने किशोरों के भीतर चिंता, बेचैनी और आत्मग्लानि जैसी मानसिक स्थितियों को जन्म दिया। अनेक किशोरों में अवसादग्रस्त व्यवहार और उदासीनता की प्रवृत्ति देखी गई।
2. **आक्रोश और आक्रामकता में वृद्धि:** मनोवैज्ञानिक दमन और सामाजिक गतिविधियों की कमी के कारण किशोरों में आक्रोश, चिड़चिड़ापन और आक्रामकता बढ़ी। यह प्रवृत्ति विशेष रूप से उन किशोरों में पाई गई जो पहले से ही संवेदनशील या तनावग्रस्त पारिवारिक वातावरण में रह रहे थे।
3. **इंटरनेट और सोशल मीडिया की लत:** ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर डिजिटल उपकरणों का अत्यधिक प्रयोग किशोरों में सोशल मीडिया, गेमिंग और अनावश्यक कंटेंट की ओर झुकाव को बढ़ाता गया। इससे डिजिटल लत (Digital Addiction), ध्यान भटकाव, और भावनात्मक असंतुलन की समस्याएँ उत्पन्न हुईं।
4. **मार्गदर्शन और संवाद की कमी:** महामारी के दौरान विद्यालय, शिक्षक, काउंसलर और सामाजिक गतिविधियों की अनुपस्थिति ने किशोरों को सकारात्मक मार्गदर्शन और अनुशासित संवाद से वंचित कर दिया। परिणामस्वरूप, वे ग़लत संगत, भ्रमित विचारों और असामाजिक गतिविधियों की ओर आकृष्ट होने लगे।

8. आपदा और अपराध के बीच संबंध

आपदाएँ — चाहे प्राकृतिक हों या महामारी रूपी — समाज की संस्थागत संरचना, नियंत्रण तंत्र, और सामाजिक संतुलन को अस्थिर करती हैं। विशेष रूप से किशोर वर्ग पर इनका प्रभाव गहरा और दीर्घकालिक होता है। महामारी जैसी आपदाओं में किशोर अपराधों में वृद्धि का सीधा संबंध मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और प्रशासनिक कमजोरियों से जुड़ा होता है।

1. **अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों की पुष्टि:** WHO और UNICEF जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्टों में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि आपदाओं के दौरान बाल अपराधों की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। विशेष रूप से सामाजिक सेवाओं और निगरानी व्यवस्था के कमजोर होने पर किशोर अधिक संवेदनशील और असुरक्षित हो जाते हैं।

2. **सामाजिक ताने-बाने की कमजोरी:** आपदा के समय पारिवारिक विघटन, बेरोज़गारी, और शिक्षा-स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता जैसे कारणों से सामाजिक संरचना कमज़ोर पड़ जाती है, जिससे किशोरों के पास उचित मार्गदर्शन और सुरक्षा का अभाव होता है। यह स्थिति उन्हें असामाजिक गतिविधियों और अपराध की ओर प्रेरित कर सकती है।

3. **नियंत्रण तंत्र की शिथिलता:** आपदा के दौरान पुलिस, बाल कल्याण समितियाँ, विद्यालय, और बाल संरक्षण संस्थान जैसे नियंत्रण और

© 2025 विजय कुमार वर्मा, प्रो. (डॉ.) सुशील कुमार सिंह. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

सुधारात्मक तंत्र अपेक्षित रूप से सक्रिय नहीं रह पाते। परिणामस्वरूप, किशोरों की निगरानी और परामर्श का अभाव अपराध प्रवृत्ति को जन्म देता है।

9. महामारी के दौरान किशोर अपराधों की प्रवृत्ति

COVID-19 महामारी के दौरान, सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता ने किशोरों को विभिन्न प्रकार के अपराधों की ओर प्रेरित किया। महामारी की स्थितियों ने उन्हें न केवल सामाजिक रूप से अलग किया, बल्कि डिजिटल माध्यमों की अति-उपलब्धता और पारिवारिक निगरानी की कमी ने नए प्रकार के अपराधों को जन्म दिया। प्रमुख प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित हैं:

1. **चोरी, लूट और संपत्ति संबंधी अपराधों में वृद्धि**

आर्थिक संकट और बेरोज़गारी के चलते अनेक किशोर जीविकोपार्जन या लालच के कारण चोरी, लूट, और दुकानदारी में सेंधमारी जैसे अपराधों में संलिप्त पाए गए। NCRB रिपोर्ट (2020–2022) के अनुसार, संपत्ति अपराधों में किशोर भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।

2. **नशे की प्रवृत्ति और उससे जुड़े अपराध:** महामारी के तनावपूर्ण वातावरण में किशोरों में मादक पदार्थों के सेवन की प्रवृत्ति बढ़ी। इस लत के कारण वे नशा तस्करी, अवैध क्रियाकलापों, और गिरोहबंदी जैसी गतिविधियों में लिप्त हुए। यह प्रवृत्ति विशेषकर निम्न आर्थिक वर्गों में अधिक पाई गई।

3. **बाल श्रम और बाल तस्करी में वृद्धि:** आर्थिक दबाव ने कई परिवारों को किशोरों से मज़दूरी करवाने के लिए मजबूर किया। इसके परिणामस्वरूप बाल श्रम और बाल तस्करी के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों एवं झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों में।

4. **ऑनलाइन अपराधों में भागीदारी:** डिजिटल संसाधनों की बढ़ती निर्भरता और अपर्याप्त डिजिटल शिक्षा के कारण किशोरों में साइबर अपराधों की प्रवृत्ति विकसित हुई, जैसे:

- साइबर बुलिंग
- सोशल मीडिया हैकिंग
- फर्जी प्रोफाइल बनाना
- ऑनलाइन ठगी और धोखाधड़ी

इन अपराधों में कई किशोर जानबूझकर और कई अनजाने में शामिल हुए, जिससे उनकी कानूनी उलझनों में वृद्धि हुई।

10. NCRB व UNICEF डेटा विश्लेषण

COVID-19 महामारी के दौरान किशोरों में अपराध प्रवृत्ति और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव को लेकर विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा संग्रहित आँकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि यह अवधि किशोर विकास के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण रही। विशेष रूप से NCRB (National Crime Records Bureau) और UNICEF (United Nations Children's Fund) की रिपोर्टें इस विषय पर महत्वपूर्ण आंकड़े प्रस्तुत करती हैं।

1. **NCRB 2020 रिपोर्ट किशोर अपराधों में 12.5% की वृद्धि**

NCRB की रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में किशोर अपराधों में लगभग 12.5% की वृद्धि दर्ज की गई। यह वृद्धि मुख्यतः संपत्ति अपराधों (जैसे चोरी, लूट) और व्यक्ति पर हिंसा के मामलों में देखी गई। महामारी ने किशोरों को सामाजिक और आर्थिक रूप से जिस प्रकार से प्रभावित किया, वह इस आंकड़े में परिलक्षित होता है।

2. **2021 में साइबर अपराध में किशोरों की संलिप्तता 21% तक पहुँची**

डिजिटल माध्यमों पर बढ़ती निर्भरता और मार्गदर्शन की कमी के कारण 2021 में किशोरों द्वारा किए गए साइबर अपराधों की दर 21% तक पहुँची। इसमें शामिल अपराधों में सोशल मीडिया हैकिंग, ऑनलाइन बुलिंग, फर्जी प्रोफाइल बनाना, और डिजिटल ठगी प्रमुख हैं। यह प्रवृत्ति शहरों के साथ-साथ अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भी देखी गई।

3. **UNICEF रिपोर्ट मानसिक स्वास्थ्य सहायता अनुरोधों में दो गुना वृद्धि**

UNICEF की रिपोर्टों के अनुसार, महामारी के दौरान विशेषतः लॉकडाउन की अवधि में किशोरों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की माँग में लगभग 2 गुना वृद्धि दर्ज की गई। यह दर्शाता है कि किशोर मानसिक रूप से किस स्तर तक संकट में थे। उनमें तनाव, अकेलापन, अवसाद, और आत्मग्लानि जैसे लक्षणों की वृद्धि स्पष्ट रूप से दर्ज की गई।

11. केस अध्ययन: मुरादाबाद का परिप्रेक्ष्य

COVID-19 महामारी के दौरान मुरादाबाद जनपद में किशोर अपराधों की प्रवृत्ति में उल्लेखनीय परिवर्तन देखा गया। स्थानीय किशोर गृहों, न्यायालयों और बाल कल्याण अधिकारियों से प्राप्त आँकड़े इस क्षेत्र में महामारी के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव को स्पष्ट करते हैं।

किशोर गृहों में प्रविष्टि में वृद्धि: वर्ष 2020 से 2022 के बीच, मुरादाबाद के किशोर गृह में किशोरों की प्रविष्टि में लगभग 38% की वृद्धि दर्ज की गई। यह आँकड़ा इस बात की पुष्टि करता है कि महामारी ने किशोरों को आपराधिक गतिविधियों की ओर मोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अपराध के प्रकार: इन किशोरों के विरुद्ध दर्ज मामलों का विश्लेषण दर्शाता है कि चोरी, आपसी मारपीट/हिंसा, और साइबर अपराध सर्वाधिक प्रचलित अपराध थे। विशेष रूप से मोबाइल और डिजिटल उपकरणों तक पहुँच रखने वाले किशोरों में साइबर अपराध की प्रवृत्ति अधिक पाई गई।

आर्थिक पृष्ठभूमि: लगभग 70% किशोर वे थे जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से संबंध रखते थे। इनमें अधिकतर के परिवार महामारी के दौरान रोज़गार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह गए थे, जिससे किशोरों में असंतोष और दिशाहीनता उत्पन्न हुई।

12. विधिक प्रतिक्रियाएँ और चुनौतियाँ

COVID-19 महामारी के दौरान किशोर अपराधों में आई वृद्धि के संदर्भ में भारत की विधिक प्रणाली के समक्ष कई नई और जटिल चुनौतियाँ उभरीं। यद्यपि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 प्रभावी रूप से लागू है, तथापि बदलते सामाजिक-तकनीकी परिदृश्य में इसकी प्रभावशीलता पर प्रश्नचिह्न खड़े हुए हैं। इस परिप्रेक्ष्य में प्रमुख विधिक प्रतिक्रियाएँ और चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं:

1. **किशोर न्याय अधिनियम 2015 का सीमित प्रभाव**

© 2025 विजय कुमार वर्मा, प्रो. (डॉ.) सुशील कुमार सिंह. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

भारत में किशोरों से संबंधित अपराधों के निपटान हेतु Juvenile Justice Act, 2015 लागू है, जिसमें सुधार, पुनर्वास और बालकों के सर्वांगीण विकास की दिशा में प्रावधान हैं। किंतु महामारी जैसी आपात स्थितियों में इसकी व्यावहारिक क्रियान्वयन क्षमता सीमित रही, विशेष रूप से साइबर अपराधों और मनोवैज्ञानिक मामलों में।

2. **डिजिटल अपराधों के लिए अपर्याप्त विधिक संरचना**
महामारी के दौरान किशोरों द्वारा किए गए साइबर अपराधों (जैसे हैकिंग, साइबर बुलिंग, डिजिटल धोखाधड़ी) को रोकने और दंडित करने हेतु विशेष कानूनों की कमी स्पष्ट रूप से महसूस की गई। IT Act के प्रावधान वयस्कों पर केंद्रित हैं, जबकि किशोरों के लिए विशिष्ट और परामर्श-आधारित विधिक ढाँचे की आवश्यकता है।

3. **किशोर गृहों में भीड़ और संसाधनों की कमी**
महामारी के दौरान अपराधों में वृद्धि के चलते किशोर गृहों में ओवरक्राउडिंग की स्थिति उत्पन्न हुई। इससे न केवल आवास, भोजन और स्वच्छता से संबंधित समस्याएँ बढ़ीं, बल्कि सुधारात्मक कार्यक्रमों का प्रभाव भी घटा। किशोरों के बीच आपसी टकराव और मानसिक अवसाद की घटनाएँ भी अधिक हुईं।

4. **पुनर्वास की सीमित व्यवस्था**
किशोर अपराधियों के लिए सुनियोजित पुनर्वास और समाज में पुनःस्थापन की संरचनाएँ अपर्याप्त हैं। अधिकांश किशोर गृहों में कौशल विकास, मनोवैज्ञानिक परामर्श, और शैक्षिक पुनःप्रवेश की सुविधाओं का अभाव देखा गया, जिससे किशोरों के लिए अपराध से बाहर निकलने की संभावना सीमित हो जाती है।

13. निष्कर्ष

COVID-19 महामारी ने केवल स्वास्थ्य क्षेत्र ही नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना के कई पहलुओं को प्रभावित किया, जिसमें किशोरों का जीवन और व्यवहारिक ढांचा विशेष रूप से प्रभावित हुआ। दीर्घकालीन लॉकडाउन, शैक्षिक संस्थानों का बंद होना, आर्थिक तंगी और डिजिटल माध्यमों की अत्यधिक निर्भरता ने किशोरों के मनोवैज्ञानिक संतुलन को विघटित किया।

इन परिस्थितियों में किशोरों की अपराध की ओर प्रवृत्ति में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई। यह प्रवृत्ति भारत जैसे विकासशील देश के लिए स्पष्ट संकेत देती है कि आपदा प्रबंधन नीति में बाल संरक्षण को एक अनिवार्य घटक के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

यह अध्ययन इस तथ्य को पुष्ट करता है कि:

- किशोरों के प्रति विधिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में समन्वय आवश्यक है।
- किशोर न्याय अधिनियम 2015 जैसे कानूनों को नई परिस्थितियों के अनुरूप अद्यतन और व्यावहारिक बनाना होगा।
- पुनर्वास, परामर्श, और शिक्षा के समग्र दृष्टिकोण को महामारी जैसी आपदाओं के लिए विशेष रूप से सुदृढ़ करना होगा।

14. सुझाव एवं सिफारिशें

मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण: महामारी जैसी आपदाओं के दौरान किशोरों के मानसिक संतुलन को बनाए रखने हेतु स्कूलों, किशोर गृहों और बाल संरक्षण संस्थानों में काउंसलिंग सेवाएं, मानसिक स्वास्थ्य शिविर, और मनोवैज्ञानिक समर्थन की व्यवस्था अनिवार्य होनी चाहिए।

शैक्षिक संस्थानों में आपदा जागरूकता कार्यक्रम: विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में आपदा-प्रबंधन शिक्षा, साइबर सुरक्षा जागरूकता और जीवन-कौशल विकास पर आधारित पाठ्यक्रम लागू किए जाएं, जिससे किशोरों में आत्म-संयम और निर्णय क्षमता का विकास हो।

डिजिटल अपराधों के नियंत्रण हेतु साइबर संरचना का विकास: बढ़ते ऑनलाइन अपराधों को देखते हुए, बाल अपराध नियंत्रण में साइबर पुलिस की भूमिका को सशक्त किया जाए। किशोर साइबर अपराधियों के विश्लेषण हेतु विशेष टास्क फोर्स बनाई जाए।

आपदा-संवेदनशील किशोर न्याय नीति का निर्माण: किशोर न्याय अधिनियम को आपदा परिदृश्य में पुनर्विचारित किया जाए, जिसमें लॉकडाउन, महामारी या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में विशेष प्रक्रियाएं और पुनर्वास उपाय निर्धारित हों।

एनजीओ और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा: स्थानीय स्तर पर कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और समुदाय आधारित समूहों को किशोरों के पुनर्वास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक समावेशन की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी दी जाए।

संदर्भ

1. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) रिपोर्ट्स, 2020–2022
2. यूनिसेफ इंडिया – बाल संरक्षण पर रिपोर्ट, 2021
3. यूनिसेफ इंडिया – किशोर न्याय एवं कोविड-19 प्रभाव रिपोर्ट, 2022
4. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015
5. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार (2021–2022)
6. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) – "कोविड-19 और युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य", 2021
7. हिंदुस्तान – मुरादाबाद संस्करण (2021, 2022)
8. दैनिक जागरण – "लॉकडाउन में किशोर अपराध की बढ़ती घटनाएँ", 2021
9. डॉ. आलोक कुमार सिंह – भारत में किशोर अपराध, 2020
10. शोधगंगा – कोविड-19 और बाल संरक्षण संबंधित शोध प्रबंध, 2022
11. SSRN शोध पत्र – किशोर न्याय और महामारी प्रतिक्रिया, 2021
12. इंडियन जर्नल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, खंड 49, अंक 1, 2021
13. इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली – संकट के समय में बाल संरक्षण, 2022
14. सेव द चिल्ड्रन इंडिया – कोविड-19 का असुरक्षित बच्चों पर प्रभाव, 2021
15. जर्नल ऑफ इंडियन लॉ एंड सोसाइटी – भारत में किशोर न्याय का कानूनी ढांचा, 2020
16. बार एंड बेंच – महामारी के दौरान किशोर न्याय से संबंधित मामले, 2021
17. द वायर हिंदी – "कोविड के समय में बच्चों पर संकट", 2021
18. इंडिया टुडे – लॉकडाउन के दौरान किशोर अपराध की प्रवृत्तियाँ, 2021

© 2025 विजय कुमार वर्मा, प्रो. (डॉ.) सुशील कुमार सिंह. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

19. दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (DCPCR) – रिपोर्ट्स, 2020–2022
20. युवा हेल्पलाइन (1098) वार्षिक प्रवृत्ति रिपोर्ट – 2021
21. जर्नल ऑफ सोशल वर्क एंड डेवलपमेंट – कोविड-19 के दौरान कानून से टकराव में किशोर, 2022
22. राष्ट्रीय सार्वजनिक सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (NIPCCD) – प्रशिक्षण रिपोर्ट्स, 2020–2021
23. NCRB – साइबर अपराध एवं किशोरों पर संकलन, 2021
24. गृह मंत्रालय, भारत सरकार – कोविड लॉकडाउन में बच्चों पर सलाह पत्र, 2021
25. लीगल सर्विस इंडिया – कोविड और भारत में किशोर कानून का अंतःसंबंध, 2022

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

© 2025 विजय कुमार वर्मा, प्रो. (डॉ.) सुशील कुमार सिंह. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/